

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
उत्तरप्रदेश, लखनऊ।

सेवामें,

अधिशासी निदेशक,
उ०प्र० वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन
5/459, विराम खण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ— 226010

पत्रांक:—राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ /2021–22/ 9299

लखनऊ /दिनांक : 15-11-2021

विषय:—राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय वर्किंग ग्रुप कमेटी (State level Working Group Committee) में सदस्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि प्रदेश के समस्त जनपदों में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम—2003 (सी०ओ०टी०पी०ए०—2003) में निहित नियमों/उपनियमों का अक्षरशः अनुपालन करवाया जा रहा है, जिसमें आपके द्वारा जनपद एवं राज्य स्तर पर राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सतत कई वर्षों से सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

पुनः आपको अवगत कराना है कि सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम—2003 के प्राविधानों एवं उक्त कार्यक्रम के प्रभावी संचालन हेतु राज्य स्तर पर लिये जाने वाले निर्णयों/सुझावों हेतु राज्य स्तरीय गठित वर्किंग ग्रुप कमेटी गठित है।

अतः उपरोक्तानुसार आपके सहयोग एवं अनुभव के दृष्टिगत स्वयं सेवी संस्था उत्तर प्रदेश वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन, लखनऊ को राज्य स्तरीय गठित वर्किंग ग्रुप कमेटी में सदस्य के रूप में नामित किया जाता है।

भवदीय,

YK
निदेशक(स्वास्थ्य)
तददिनांक :

पत्रांक :—राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ /2021–22/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित :

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।
3. स्टाफ ऑफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ०प्र०।

संयुक्त निदेशक (स्वास्थ्य)

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
उत्तरप्रदेश, लखनऊ।

सेवामें,

अधिशासी निदेशक,
उ0प्र0 वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन
5/459, विराम खण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ— 226010

पत्रांक:—राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ /2021–22/

लखनऊ/दिनांक : 15-11-2021

विषय:—राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय वर्किंग ग्रुप कमेटी (State level Working Group Committee) में सदस्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि प्रदेश के समस्त जनपदों में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम—2003 (सी0ओ0टी0पी0ए0—2003) में निहित नियमों/उपनियमों का अक्षरशः अनुपालन करवाया जा रहा है, जिसमें आपके द्वारा जनपद एवं राज्य स्तर पर राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सतत कई वर्षों से सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

पुनः आपको अवगत कराना है कि सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम—2003 के प्राविधानों एवं उक्त कार्यक्रम के प्रभावी संचालन हेतु राज्य स्तर पर लिये जाने वाले निर्णयों/सुझावों हेतु राज्य स्तरीय गठित वर्किंग ग्रुप कमेटी गठित है।

अतः उपरोक्तानुसार आपके सहयोग एवं अनुभव के दृष्टिगत स्वयं सेवी संस्था उत्तर प्रदेश वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन, लखनऊ को राज्य स्तरीय गठित वर्किंग ग्रुप कमेटी में सदस्य के रूप में नामित किया जाता है।


भवदीय,

निदेशक(स्वास्थ्य)

तददिनांक :

पत्रांक :—राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ /2021–22/ 9300-02
प्रतिलिपि निम्नलिखित को ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित :

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
3. स्टाफ ऑफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0।


संयुक्त निदेशक (स्वास्थ्य)